



बिहार सरकार

फॉर्म-X(क)

क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र
पिछड़ा वर्ग /अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु
(बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)
कार्यालय का नाम अंचल कार्यालय - केसठ

प्रमाण-पत्र संख्या : NCLCO/2023/1598964

दिनांक : 08/11/2023

प्रमाणित किया जाता है कि सुनील कुमार सिंह(Sunil Kumar Singh), पिता-बबन सिंह(Baban Singh), माता-शांति देवी(Shanti Devi), ग्राम/मोहला-कुलमनपुर, पोस्ट-शिवपुर नार्थ, थाना- नावानगर, प्रखंड-केसठ, अनुमंडल-डुमरांव, जिला-बक्सर, राज्य बिहार यादव , अहीर समुदाय के सदस्य हैं, जो बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 समय - समय पर यथासंशोधित अधिनियम के अंतर्गत बिहार राज्य की पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) में अनुक्रमांक 22 पर अंकित है। अतः सुनील कुमार सिंह, पुत्र- बबन सिंह, माता-शांति देवी पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) का है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/1993 स्था० (एस०सी०टी०) दिनांक 08-09-1993, (समय-समय पर यथा संशोधित) के स्तम्भ -3 में वर्णित व्यक्ति / वर्ग (क्रीमी लेयर) के अंतर्गत नहीं आते हैं।

स्थान : केसठ

दिनांक : 08/11/2023



Digitally signed by Ajeet Kumar
Date:2023.11.08 11:57:15 +05:30

राजस्व अधिकारी केसठ
(हस्ताक्षर)

QR Code की जाँच <https://serviceonline.bihar.gov.in> वेबसाइट एवं Play Store पर उपलब्ध ServicePlus Mobile App से करें।
नोट: यह दस्तावेज़ DigiLocker पर भी उपलब्ध है।